



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-14092026-276160
CG-WB-E-14092026-276160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4748]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 4748]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 7 सितम्बर, 2026

का.आ. 4938(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी के स्तम्भ (4) अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला और पानपोष स्टेशनों के बीच किमी. 414/9-11 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 209 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सुंदरगढ़।
2.	ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पानपोष और कलुंगा स्टेशनों के बीच किमी. 425/01-03 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 214 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण।		

[फा. सं. दपूरे -निर्माण/संगठन/ मुख्यालय/ भूमि/आरओयू/ एलसी संख्या 209 और 214 पर आरओबी/एसआरपी/2]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 7th September, 2026

S.O. 4938(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section- 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (4) of the Table below to perform the functions of the competent authority in respect of the special railway project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Special Railway Project	State	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Construction of a Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.209 at Km. 414/9–11 between Rourkela and Panposh stations in the Sundargarh District of Odisha.	Odisha	Land Acquisition Officer, Sundargarh.
2.	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing no.214 at Km. 425/01-03 between Panposh and Kalunga stations in the Sundargarh District of Odisha.		

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/ROU/ROB at LC no.209 & 214/SRP/2]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer (Con.)